



# रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

अधिसूचना संख्या:-एनईआर/आरआरसी/एक्ट अप्रेंटिस/2025-26

दिनांक 24.01.2025

## एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण अधिसूचना 2025-26

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 24.01.2025 (सुबह 10:00 बजे)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि - 23.02.2025 (शाम 05:00 बजे)

1. अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम, 1962 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए नि करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम.सं	कारखाना / इकाई	कुल स्लॉट
1	यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर	411
2	सिग्नल कारखाना/गोरखपुर छावनी	63
3	पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी	35
4	यांत्रिक कारखाना/इज्जतनगर	151
5	डीजल शेड/इज्जतनगर	60
6	कैरिज & वैगन/इज्जतनगर	64
7	कैरिज & वैगन/लखनऊ जं	155
8	डीजल शेड/गोंडा	90
9	कैरिज & वैगन/वाराणसी	75
	<b>कुल</b>	<b>1104</b>

2. ट्रेड के अनुसार स्लॉट एवं एससी/एसटी/ओबीसी/ई.डब्ल्यू.एस. दिव्यांग (PwBD) / भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को मिलने वाले आरक्षण के बंटवारा का विवरण निम्नवत है-

Workshop/ Unit	Trade	UR	EWS	SC	ST	OBC	Total	Ex.S/Man	PwBD	Training Period
Mechanical Workshop Gorakhpur	Fitter	57	14	21	10	38	140	4	6	1 yr
	Welder	25	6	9	5	17	62	2	2	1 yr
	Electrician	7	2	2	1	5	17	1	1	1 yr
	Carpenter	36	9	13	7	24	89	3	3	1 yr
	Painter	35	9	13	7	23	87	3	3	1 yr
	Machinist	6	2	2	2	4	16	1	1	1 yr
	<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>111</b>	<b>411</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	
Signal Workshop Gorakhpur Cantt	Fitter	13	3	5	2	8	31	1	2	1 yr
	Machinist	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Welder	3	1	1	1	2	8	0	0	1 yr
	Carpenter	2	0	0	0	1	3	0	0	1 yr
	Turner	7	1	2	1	4	15	0	1	1 yr
	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
Bridge Workshop Gorakhpur Cantt	Fitter	9	2	3	2	5	21	1	1	1 yr
	Machinist	2	0	0	0	1	3	0	0	1 yr
	Welder	5	1	2	1	2	11	0	0	1 yr
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Mechanical Workshop Izzat Nagar	Fitter	16	4	6	3	10	39	1	2	1 yr
	Welder	12	3	5	2	8	30	1	1	1 yr
	Carpenter	15	4	6	3	11	39	1	2	1 yr
	Electrician	13	3	5	2	9	32	1	1	1 yr
	Painter	4	1	2	1	3	11	1	0	1 yr
	<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Diesel Shed Izzat Nagar	Electrician	12	3	5	2	8	30	1	1	1 yr
	Mechanic Diesel	12	3	5	2	8	30	1	1	1 yr
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Carriage & Wagon Izzat Nagar	Fitter	26	6	10	5	17	64	2	3	1 yr
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Carriage & Wagon Lucknow Jn	Fitter	49	12	18	9	32	120	4	5	1 yr
	Welder	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Carpenter	4	1	2	1	3	11	0	1	1 yr
	Trimmer	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Machinist	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Painter	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>155</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
Diesel Shed Gonda	Welder	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Electrician	8	2	3	2	5	20	1	1	1 yr
	Mechanic Diesel	23	5	8	4	15	55	2	2	1 yr
	Fitter	6	1	2	1	3	13	0	1	1 yr
	<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Carriage & Wagon /Varanasi	Fitter	26	7	10	5	18	66	2	3	1 yr
	Welder	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Carpenter	3	0	0	0	0	3	0	0	1 yr
	Trimmer	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Painter	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Total</b>	<b>454</b>	<b>110</b>	<b>165</b>	<b>81</b>	<b>294</b>	<b>1104</b>	<b>34</b>	<b>44</b>		

- नोट-** रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एमपीपी) 2003/6/14 दिनांक 09.12.2003 (आर.बी.ई.-213/2003), ई (एनजी)।।/2009/आरआर-1/10 दिनांक 23.07.2015 (आर.बी.ई.- 83/2015) और ई (एनजी)। 1/2017/आरसी-2/1 पालिसी दिनांक 16.02.2018 (आर.बी. ई.- 23/2018) में निहित प्रावधानों के तहत भूतपूर्व और सशस्त्र बलों के बच्चों को 3% आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% उनके अपने समुदाय (अनारक्षित/एससी/एसटी/ओबीसी) से देय है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2019 ई (एस. सी.टी.)- 1/25/1 दिनांक 07.02.2019 (आर.बी. ई. 21/2019) के अनुसार ई.डब्लू. एस. अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण उनके अपने समुदाय (अनारक्षित) से देय है।
- आयु सीमाएं:-** अभ्यर्थियों को दिनांक 24.01.2025 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। एससी/एसटी अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा के मामले में 5 साल तक की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में 3 साल तक की छूट एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट की अनुमति है।
  - आवश्यक योग्यताएं:-** अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख (दिनांक 24.01.2025) को अधिसूचित ट्रेड में आईटीआई के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित हाई स्कूल/10वीं की निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए।
  - शारीरिक मानक:-** प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा (प्रारूप संलग्न)। दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी।
  - प्रसंस्करण शुल्क:-** उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 100/- रुपये का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (PwBD)/महिला उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क से छूट दी गयी है।
  - आवेदन का तरीका:** उम्मीदवारों को अपने आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क (100/- रुपये) पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से

पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वर दिनांक 24.01.2025 को सुबह 10.00 बजे खोला जायेगा एवं दिनांक 23.02.2025 को शाम 5.00 बजे बन्द कर दिया जायेगा।

8. **चयन का तरीका:-** अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा जो मैट्रिक [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और आईटीआई परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक इकाई/स्थान का चयन कर सकते हैं। यदि उसकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली इकाई आवंटित नहीं हो पाती है तो उसे बाद की पसंद वाली इकाई आवंटित की जायेगी। अभ्यर्थियों को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, निर्धारित फार्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट, 04 अदद पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, सभी मूल प्रमाणपत्रों और प्रशंसापत्रों तथा उनकी छायाप्रति लाना होगा। प्रलेख सत्यापन के बाद, पात्र उम्मीदवारों का आवंटित मण्डल/यूनिट में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा।
9. **प्रशिक्षण और वृत्तिका:-** केंद्रीय अप्रेन्टिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं को निर्धारित दरों पर अप्रेन्टिस के दौरान वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।
10. **अस्वीकरण:-** इस अधिनियम के अनुसार, अप्रेन्टिसों की अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें कोई रोजगार देना रेलवे की बाध्यता नहीं है। तदनुसार, रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।
11. **अन्य शर्तें:-**
  - a. चयन हेतु किसी भी रूप में की गयी पैरवी अयोग्यता मानी जाएगी।
  - b. जिन अभ्यर्थियों को प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाता है उन्हें किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते, रहने व भोजन सम्बन्धी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
  - c. इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के आधार पर शिक्षता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि वे शिक्षता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं।
  - d. चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षता आर.डी.ए.टी./कानपुर से उनके पंजीकरण के आधार पर होगा।
  - e. चयनित अभ्यर्थी अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 के तहत अप्रेन्टिसशिप का अनुबंध निष्पादित करेंगे और यदि अभ्यर्थी नाबालिग है, तो उसके -पिता/अभिभावक निर्धारित माता- अनुबंध को निष्पादित करेंगे। अप्रेन्टिस प्रशिक्षण समय-समय पर संशोधित अप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेन्टिसशिप नियम, 1962 के प्रावधानों और नियमों/विनियमों के अधीन होगा।
  - f. यदि एक अप्रेन्टिस शिक्षता प्रशिक्षण को बंद कर देता है और वैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा करने करने में विफल रहता है, तो तो उसे रेलवे प्रशासन द्वारा भुगतान किय गए वृत्तिका, प्रशिक्षण की लागत और ऐसी अन्य लागतें वापस करनी होंगी ती जो नियमों के तहत निर्धारित की जा सकती है।
  - g. यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी झूठी घोषणा की गई हो और अभ्यर्थी रेलवे के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जा सकता है। इस संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।
12. **संचार/सूचनाओं का प्रकाशन:-** अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी संचार/सूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) पर नोटिस प्रकाशित करके किये जाएंगे। किसी स्तर पर कोई व्यक्तिगत बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एसएमएस/ईमेल भेजा जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थियों को नियमित अंतराल पर पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। संचार/सूचनाओं की प्राप्ति न होना किसी भी दावे का आधार नहीं होगा, चाहे वह जो भी हो। अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि प्रलेख सत्यापन बहुत ही कम समय के नोटिस पर आयोजित किया जाएगा। प्रलेख सत्यापन का शेड्यूल वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्यक्ष  
रेलवे भर्ती सेल  
गोरखपुर

